बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

मासिक प्रतिवेदन

मई, 2022

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

(आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार)

विषय सूची		पेज नं.
(A)	अभियंताओं/वास्तुविदों/संवेदकों/राजमिस्त्रियों का भूकम्परोधी निर्माण तकनीक से संबंधित प्रशिक्षण	01–04
(B)	अस्पताल अग्नि सुरक्षा कार्यक्रम	05
(C)	‘‘जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा’’ जागरूकता कार्यक्रम	06
(D)	सड़क सुरक्षा विषय पर मानक संचालन प्रक्रिया के लिए प्रारूपण समिति की बैठक	07
(E)	″सुरक्षित तैराकी″ कार्यक्रम में युवक/युवतियों का मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण	08–09
(F)	″सुरक्षित तैराकी″ कार्यक्रम में बालक/बालिकाओं का तैराकी एवं जीवन रक्षा कौशल का प्रशिक्षण	09–10
(G)	डूबने से होने वाली मौतों की रोकथाम, आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं पूर्व तैयारी हेतु कार्यशाला	11–13
(H)	डूबने से होने वाली मृत्यु की रोकथाम हेतु ″जन–जागरूकता सप्ताह 23–29 मई 2022″ की अवधि में आयोजित गतिविधियां	14
(I)	बहु–आपदा जोखिम एवं न्यूनीकरण विषय पर सामुदायिक स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण	15
(J)	वज्रपात से बचाव संबंधी कार्ययोजना के लिए पटना, गया और औरंगाबाद कार्ययोजना बनाने की तैयारी के लिए बैठक	16
(k)	पंचायत संसाधन केन्द्र (DPRC) के पदाधिकारियों का ″आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन″ विषय पर दो दिवसीय मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण कार्यक्रम	17
(L)	बांका के जिला आपदा प्रबंधन योजना (DDMP) पर परिचर्चा के लिए पदाधिकारियों की बैठक	18

(A) अभियंताओं/वास्तुविदों/संवेदकों/राजमिस्त्रियों का भूकम्परोधी भवन निर्माण तकनीक से संबंधित प्रशिक्षण

मई, 2022 तक राज्य के सभी (38) जिलों के साथ–साथ भूकम्पीय जोन v के 8 के जिलों (किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा, मधुबनी एवं सीतामढ़ी) में भूकम्परोधी भवन निर्माण तकनीक पर अनुभवी राजमिस्त्रियों के सात दिवसीय प्रशिक्षण का दूसरे बैच का प्रशिक्षण सम्पन्न किया गया। इस प्रकार मई, 2022 तक कुल 19,784 अनुभवी राजमिस्त्रियों एवं 38 जिलों में कुल 2676 असैनिक अभियंताओं को भवनों के भूकम्परोधी निर्माण एवं रेट्रोफिटिंग तकनीक के लिए प्रशिक्षित किया जा चुका है।

1. दिनांक 13 मई, 2022 को विवेकानंद इटरनेशनल स्कूल में भूकम्प एवं अग्नि सुरक्षा से संबंधित मॉकड्रिल का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान बच्चों के बीच पेंटिंग प्रतियोगिता भी कराया गया।
2. **दिनांक 19 मई, 2022** को जिला पदाधिकारी बांका की अध्यक्षता में राजमिस्त्रियों के सात दिवसीय प्रशिक्षण की तैयारी के लिए अंचलाधिकारियों के साथ ऑनलाइन ब्रिफिंग किया गया।
3. दिनांक 22 मई, 2022 को जलालपुर सिटी में भूकम्प एवं अग्नि सुरक्षा से संबंधित मॉकड्रिल का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बच्चों की पेंटिंग प्रतियोगिता में भागीदारी हुई।
4. दिनांक 23 मई, 2022 को राजमिस्त्रियों के अगामी प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षकों/भावी प्रशिक्षकों के कुल 22 अभियंताओं/राजमिस्त्रियों का एक दिवसीय रिफ्रेशर कोर्स प्राधिकरण के सभा कक्ष में संपन्न हुआ।
5. दिनांक 24 मई, 2022 को बाढ़ सुरक्षा सप्ताह (01 से 07 जून) के दौरान संबंधित विभागों एवं संस्थाओं द्वारा आयोजित गतिविधियों पर विचार विमर्श हेतु प्राधिकरण सभा कक्ष में बैठक हुई।

24 मई, 2022 को बाढ़ सुरक्षा सप्ताह (01 से 07 जून) के दौरान संबंधित विभागों एवं संस्थाओं द्वारा आयोजित होने वाली गतिविधियों पर विचार विमर्श हेतु बैठक

6. दिनांक 25 से 31 मई, 2022 तक, बांका जिला के सभी 11 प्रखंडों में दूसरे बैच में कुल 312 राजमिस्त्रियों को भूकम्परोधी भवन के लिए सात दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया।

7. (i) राजमिस्त्री प्रशिक्षण के अन्तिम दिन (31 मई 2022) प्रत्येक प्रखंड में लगभग 30 गृहस्वामियों, निर्माण सामग्री के व्यवसायी एवं अन्य प्रभावशाली लोगों का प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम किया गया।

(ii) राजमिस्त्री प्रशिक्षण के अंतिम दिन उन्हें मेसन टूल किट एवं सेफ्टी हेलमेट प्रदान किया गया।

(iii) श्रम संसाधन विभाग के द्वारा प्रखंड में जाकर राजमिस्त्रियों का श्रम निबन्धन कराया गया।

8. भवनों का R.V.S. (Rapid Visual Screening) कराने के संबंध में आई.आई.टी., पटना, के साथ MOU किया गया है। Pilot stud*y* के तहत पाँच भवनों

i. डा0 भीमराव अम्बेदकर कल्याण छात्रावास, मगध महिला महाविद्यालय, पटना,

ii. डा0 भीमराव अम्बेदकर कल्याण छात्रावास, महेन्द्रू, पटना,

iii. आयुक्त कार्यालय भवन, मुजफ्फरपुर,

iv. समाहरणालय भवन, पूर्वी चम्पारण एवं

v. समाहरणालय भवन, दरभंगा का प्राधिकरण स्तर पर चयन कर IIT को सूचित किया गया।

IIT द्वारा इन स्थलों पर जाकर निरीक्षण कार्य एवं नमूना संग्रह का कार्य किया गया। मगध महिला महाविद्यालय के प्राचार्य एवं संबंधित जिला के अपर समाहर्ता तथा आयुक्त के सचिव के साथ आवश्यक समन्वय कर IIT पटना को आवश्यक सहयोग प्रदान किया गया। IIT द्वारा

इन पाँच भवनों का RVS कर अन्तरिम प्रतिवेदन समर्पित किया गया है तथा अग्रेतर कार्य किया जा रहा है।

9. Shake Table का निर्माण कार्य प्रगति पर है। NIT रायपुर के प्रो० गोवर्द्धन भट्ट से लगातार सम्पर्क एवं समन्वय किया गया है। उनके द्वारा माह जून तक इसे पूरा कर लेने का आश्वासन दिया गया है।

10. राजकीय पॉलिटेक्निक, दरभंगा में निर्माणाधीन भूकम्प सुरक्षा क्लीनिक सह परामर्श केन्द्र के निर्माण से सम्बन्धित कार्य का अनुश्रवण किया गया। प्रभारी प्राध्यापक के अनुरोध पर प्राधिकरण स्तर से मो. अरबाज आलम को 17 से 20 मई 2022 तक के लिए भेजा गया था।

11. बिहार भूकम्प दूरमापी तंत्र से सम्बन्धित नवनिर्मित केन्द्रीय संग्रहण स्टेशन भवन के निर्माण कार्य के हस्तांतरण हेतु आवश्यक कारवाई की गई तथा भवन का हस्तांतरण पटना विश्वविद्यालय को किया गया।

12. बिहार भूकम्प आपदा प्रबंधन मार्गदर्शिका से गठन के संबंध में ड्राफ्टिंग कमिटी के सदस्यों एवं अन्य विशेषज्ञों के साथ समन्वय का कार्य किए जा रहे हैं। विशेषज्ञों से प्राप्त मंतव्य को ड्राफ्टिंग कमिटी के सदस्य द्वय प्रो. अतुल आदित्य पाण्डेय एवं प्रो. वैभव सिंघल को अग्रेतर कार्यवाई हेतु माह मई में भेज दिया गया है।

अभियंताओं / राजमिस्त्रियों का प्रशिक्षण / रिफ्रेशर कोर्स			
क्र. सं.	कार्यक्रम का नाम	प्रशिक्षण तिथि / स्थान	प्रशिक्षित प्रतिभागी की संख्या
1	राजमिस्त्रियों का सात दिवसीय प्रशिक्षण	25 से 31 मई 2022	314 राजमिस्त्री
2	रिफ्रेशर कोर्स	23 मई 2022 को BSDMA, पटना में।	22 प्रशिक्षकगण

बांका जिला में दूसरे बैच में राजमिस्त्रियों का सात दिवसीय प्रशिक्षण			
क्र. सं.	ब्लॉक का नाम	प्रशिक्षण तिथि	प्रशिक्षित राजमिस्त्रियों की संख्या
1	शम्भूगंज	दिनांक 25 से 31 मई 2022	28
2	अमरपुर		27
3	रजौन		27
4	धोरैया		29
5	बाराहाट		30
6	चान्दन		28
7	बांका		29
8	कटोरिया		30
9	बौंसी		30
10	फुल्लीडूमर		25
11	बेलहर		29
कुल			**312**

(B) अस्पताल अग्नि सुरक्षा कार्यक्रम

'अस्पताल अग्नि सुरक्षा कार्यक्रम' के तहत '16 बिंदु अग्नि प्रवणता सूचकांक' के आधार पर मई, 2022 में राज्य के कुल 283 अस्पतालों का निरीक्षण किया गया जिसमें 56 सरकारी एवं 227 निजी अस्पताल शामिल हैं। इन अस्पतालों का निरीक्षण प्राधिकरण के दिशा निर्देश में अग्निशाम सेवाएं के अधिकारियों द्वारा किया गया। इस प्रकार मई, 2022 तक राज्य के कुल 4,775 अस्पतालों का अग्नि प्रवणता सूचकांक के आधार पर निरीक्षण किया जा चुका है।

विवरण निम्नवत हैं:–

माह मई 2022 में अस्पतालों/नर्सिंग होमस् के भवनों में फायर ऑडिट का ऑकड़ा।

क्र0स0	जिला का नाम	कोविड अस्पताल			नन कोविड अस्पताल		
		सरकारी	निजी अस्पताल	कुल	सरकारी	निजी अस्पताल	कुल
1	पटना	0	0	0	2	28	30
2	नालंदा	0	0	0	3	8	11
3	रोहतास	0	1	1	0	8	8
4	भभुआ	अप्राप्त है	अप्राप्त है	0	अप्राप्त है	अप्राप्त है	
5	भोजपुर	0	0	0	1	2	3
6	बक्सर	0	0	0	0	0	0
7	गया	0	0	0	0	0	0
8	जहानाबाद	2	0	2	1	3	4
9	अरवल	0	0	0	0	1	1
10	नवादा	0	0	0	0	2	2
11	औरंगाबाद	0	0	0	0	2	0
12	छपरा	0	0	0	9	15	24
13	सिवान	0	0	0	1	1	2
14	गोपालगंज	0	0	0	0	0	0
15	मुजफ्फरपुर	0	0	0	2	3	5
16	सीतामढ़ी	0	0	0	3	14	17
17	शिवहर	0	0	0	0	1	1
18	बेतिया	0	0	0	0	1	1
19	बगहा	0	0	0	1	1	2
20	मोतिहारी	0	0	0	2	20	22
21	वैशाली	0	0	0	1	36	37
22	दरभंगा	0	0	0	0	6	6
23	मधुबनी	0	0	0	0	10	10
24	समस्तीपुर	0	0	0	1	4	5
25	सहरसा	0	0	0	0	1	1
26	सुपौल	0	0	0	1	2	3
27	मधेपुरा	अप्राप्त है	अप्राप्त है	0	अप्राप्त है	अप्राप्त है	
28	पूर्णिया	1	1	2	8	4	12
29	अररिया	0	0	0	4	7	11
30	किशनगंज	0	0	0	0	5	5
31	कटिहार	अप्राप्त है	अप्राप्त है	0	अप्राप्त है	अप्राप्त है	
32	भागलपुर	2	3	5	0	8	8
33	नवगछिया	0	0	0	0	0	0
34	बाँका	0	0	0	2	3	5
35	मुंगेर	अप्राप्त है	अप्राप्त है		अप्राप्त है	अप्राप्त है	
36	लखीसराय	0	0	0	0	2	2
37	शेखपुरा	0	0	0	0	0	0
38	जमुई	0	0	0	0	2	2
39	खगड़िया	0	0	0	1	9	10
40	बेगुसराय	1	3	4	7	10	17
कुल योग		6	8	14	50	219	269

(C) ''जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा'' जागरूकता कार्यक्रम

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा विभिन्न हितभागियों के सहयोग से सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन मई, 2022 में पटना जिले के 04 विद्यालयों में आयोजित हुए जिसमें लगभग 360 छात्र/छात्राओं शिक्षक/शिक्षिकाओं ने भाग लिया। इस प्रकार मई, 2022 तक राज्य के 12 जिलों के 54 विद्यालयों/महाविद्यालयों में आयोजित कार्यक्रम में कुल 5210 छात्र/छात्राओं एवं शिक्षक/शिक्षिकाओं ने भाग लिया।

मई, 2022 में निम्नलिखित विद्यालयों इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया:–

क्र0 सं0	दिनांक	विद्यालय का नाम
01	13.05. 2022	बिहटा पब्लिक स्कूल, किशुनपुर, बिहटा।
		सरस्वती रेजिडेंशियल स्कूल, प्रकाश नगर श्री चन्द्रपुर, बिहटा रोड, पटना।
02	18.05. 2022	विवेकानन्द इंटरनेशनल स्कूल, शेखपुरा, पटना।
		ईशान इंटरनेशनल स्कूल, मलाही पकड़ी, कंकड़बाग, पटना।

(D) सड़क सुरक्षा विषय पर एसओपी के लिए प्रारूपण समिति की बैठक

दिनांक 19.05.2022 प्राधिकरण के सभा कक्ष में सड़क सुरक्षा विषय पर मानक संचालन (SOP) प्रक्रिया तैयार करने के लिए अध्यक्ष, सड़क सुरक्षा समिति श्री नरेन्द्र कुमार की अध्यक्षता की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में SOP के विभिन्न अध्यायों का निर्धारण किया गया। अलग–अलग अध्यायों पर प्रारूप तैयार कर समिति के सदस्यों को भेजने का निर्णय लिया गया।

उक्त मानक संचालक प्रक्रिया (SOP) के प्रारूप को तैयार किए जाने हेतु निम्नलिखित समिति का गठन किया गया :

1. श्री नरेन्द्र कुमार, विंग कमांडर, अध्यक्ष, सड़क सुरक्षा समिति – अध्यक्ष
2. डॉ0 विनोद भांटी, अध्यक्ष, आपदा एवं दिव्यांगता समिति, रेड क्रॉस सोसाइटी, बिहार शाखा, पटना।
3. डॉ0 डी0के0 गुप्ता, अपर निदेशक, स्वास्थ्य विभाग, पटना
4. श्री धनंजय कुमार बम्पट, अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग
5. श्री के.के. झा, 2IC एस.डी.आर.एफ., बिहटा, पटना
6. श्री विनय कुमार, उप समादेष्ठा, एन.डी.आर.एफ., बिहटा, पटना
7. पुलिस अधीक्षक (यातायात), पटना के प्रतिनिधि
8. श्री राजीव कुमार, रोड सेफ्टी वाहन अभियंता, परिवहन विभाग, पटना
9. श्री निशांत राज, उप प्रबंधक, नेशनल इन्श्योरेंस को0लि0, पटना
10. श्री अनिरूद्ध प्रसाद, वरीय जिला समादेष्ठा, पटना
11. श्री धीरज कुमार, राज्य समन्वयक, एन.सी.सी.उड़ान, बिहार एवं झारखण्ड
12. श्री संतोष कुमार, सचिव, संकल्प ज्योति, पटना
13. डॉ. जीवन कुमार, परियोजना पदाधिकारी, बि0 रा0 आ0 प्र0 प्रा0 – संयोजक

निम्नलिखित सदस्यों के द्वारा विभिन्न अध्यायों पर सामग्री भेजी जा चुकी है :–

1. सड़क दुर्घटना के पश्चात स्वास्थ्य विभाग की भूमिका : डॉ0 डी.के. गुप्ता, अपर निदेशक, स्वास्थ्य विभाग, पटना
2. दुर्घटना के पश्चात अग्निशमन सेवाएं की भूमिका : श्री राजीव रंजन, सहायक राज्य अग्निशमन पदाधिकारी, बिहार, पटना
3. दुर्घटना के पश्चात एन.सी.सी. की भूमिका : श्री धीरज कुमार, समन्वयक, एन.सी.सी. (कम्यूनिटी ट्रैफिक पुलिस)

(E) "सुरक्षित तैराकी" कार्यक्रम में युवक/युवतियों का मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण

प्राधिकरण द्वारा डूबने से होने वाली मौतों की रोकथाम के लिए 'सुरक्षित तैराकी'' कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न जिलों के चिह्नित अंचलों के गाँवों में चयनित युवक/युवतियों को निर्धारित अर्हताओं के अनुसार मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण दिया जाता है। यह कार्यक्रम मई, 2019 में प्रारंभ किया गया था। प्रशिक्षण में सुरक्षित तैराकी कार्यक्रम की पृष्ठभूमि, महत्व एवं उद्देश्य, विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण की प्रक्रिया, तैराकी प्रशिक्षण, डूबने को बचाने हेतु सहायता एवं बचाव के तरीके, प्राथमिक उपचार, समुदाय स्तर पर बालक–बालिकाओं के प्रशिक्षण की प्रक्रिया, बंशी–जाल एवं झग्गड़/काँटा से डूबे हुए व्यक्ति/सामग्रियों की तलाश, कोविड–19 से बचाव के उपाय, सेफ एवं अनसेफ टच आदि विषयों पर सैद्धांतिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

10वें बैच में दिनांक 23.05.2022 से 31.05.2022 तक कटिहार जिले के कोढ़ा, फलका एवं मनसाही प्रखण्डों के कुल 17 प्रशिक्षुओं एवं सारण जिले के सोनपुर प्रखण्ड के कुल 07 प्रशिक्षुओं को सफलता पूर्वक 09 दिवसीय मॉड्यूल के अनुसार मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण दिया गया।

मई, 2022 का प्रशिक्षण विवरण निम्नांकित हैं :–

बैच सं0	तिथि	जिला	प्रखण्ड	स्थान	कुल प्रशिक्षित प्रशिक्षु पुरूष	
1	23.05.2022 से 31.05.2022	कटिहार एवं सारण	कोढ़ा, फलका एवं मनसाही (कटिहार), सोनपुर (सारण)	NINI	मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षित प्रशिक्षु	24
					कुल	24

इस प्रकार मई, 2022 तक कुल 10 बैचों में पटना, वैशाली, खगड़िया, बेगूसराय, भोजपुर, गया, बांका, गोपालगंज, कटिहार एवं सारण जिलों के कुल 162 + 24 = 186 युवकों एवं 9 + 15 = 24 युवतियों को मास्टर ट्रेनर तथा कुल 25 युवतियों एवं 06 +1 = 07 युवकों को तैराकी का प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

(F) "सुरक्षित तैराकी" कार्यक्रम में बालक/बालिकाओं का तैराकी एवं जीवन रक्षा कौशल का प्रशिक्षण

राज्य में डूबने से होने वाली मौतों की रोकथाम के लिए सुरक्षित तैराकी कार्यक्रम के अंतर्गत पटना जिले के दानापुर प्रखण्ड (बालदेव इंटर विद्यालय), वैशाली जिले के महनार प्रखण्ड, बेगूसराय जिले के मटिहानी एवं बरौनी प्रखण्ड तथा खगड़िया जिले के गोगरी प्रखण्ड में जिला प्रशासन द्वारा चिह्नित प्रशिक्षण स्थलों पर 06 से 18 आयु वर्ग के छात्र/छात्राओं (बालक/बालिकाओं) को प्रशिक्षण दिया गया। मई, 2022 में आयोजित प्रशिक्षण का क्रियान्वयन संबंधित जिला प्रशासन द्वारा NINI, पटना में प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर के सहयोग से सम्पन्न हुआ।

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, पटना, वैशाली, बेगूसराय एवं खगड़िया द्वारा इस कार्यक्रम के अंतर्गत छात्र/छात्राओं, बालक/बालिकाओं का 12 दिवसीय तैराकी एवं जीवन रक्षा कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया गय। यह प्रशिक्षण जिलों के चिह्नित प्रखंडों के चयनित घाटों पर बनाए गए अस्थायी तरणताल में संपन्न हुआ। वर्ष 2020–2021 में 237 छात्र/छात्राओं एवं अप्रैल माह 2022 में पटना एवं वैशाली में 110 छात्र/छात्राओं ने तैराकी एवं जीवन रक्षा कौशल विकास का प्रशिक्षण प्राप्त किया।

मई, 2022 में समुदाय स्तर सम्पन्न हुए प्रशिक्षण का विवरण निम्नलिखित है :–

क्र0 सं0	जिला का नाम	प्रखण्ड	प्रशिक्षण की तिथि (मई 2022)	बैचों की संख्या	सफलता पूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले बालकों/ बालिकाओं एवं छात्रों, छात्राओं की संख्या (निम्नलिखित प्रखंडों के अंचलाधिकारियों/ बालदेव इन्टर विद्यालय के नोडल शिक्षक से दूरभाष से प्राप्त सूचना के अनुसार)
1	पटना	दानापुर (बालदेव इंटर विद्यालय के सहयोग से)	1. 25 अप्रैल से 09 मई 2022 (छात्र–30) 2. 12–23 मई 2022 (छात्र–24)	02 (छात्र)	54
			3. 25 अप्रैल से 09 मई 2022 (छात्रा –31) 4. 12–23 मई 2022 तक (छात्रा –30)	02 (छात्रा)	61

2	वैशाली	महनार एवं हसनपुर	10 –22 मई 2022 (बालक–30+26)	02(बालक)	56
3.	बेगूसराय	मटिहानी एवं बरौनी	1. 17–28 मई 2022 सुबह – 20 बालकों शाम – 20 बालकों 2. 07–18 मई 2022 30 बालकों	03(बालक)	70
4	खगड़िया	गोगरी	1. 08–19 मई 2022 सुबह – 20 बालकों शाम – 20 बालकों 2. 19–31 मई 2022 सुबह – 30 बालकों शाम – 30 बालकों	04 (बालक)	100
				कुल	341

इस प्रकार मई, 2022 तक पटना, वैशाली, खगड़िया एवं बेगूसराय जिलों के कुल 237 + 110 + 341 = 688 छात्र/छात्राओं को तैराकी में प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है।

(G) डूबने से होने वाली मौतों की रोकथाम, हेतु कार्यशाला

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा दिनांक 06.05.2022 को डूबने से होने वाली मृत्यु की रोकथाम विषय पर कार्यशाला का आयोजन ज्ञान भवन, पटना में संपन्न हुआ। आयोजन की अध्यक्षता प्राधिकरण के माननीय सदस्य श्री पी0 एन0 राय ने की। बैठक में आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव, श्री संजय कुमार अग्रवाल एवं विशेष सचिव, एन. रामचन्द्रडूडू मौजूद थे। कार्यशाला में डूबने से होने वाली मृत्यु से अति प्रभावित 18 जिलों के अपर समाहर्त्ता/प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन, अंचल अधिकारी, मुखिया, NDRF, SDRF, NINI और गैर सरकारी संस्थाओं के लगभग 110 पदाधिकारियों /प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

इस कार्यशाला में राज्य में विगत 04 वर्षों में डूबने से हुई मृत्यु के विश्लेषण पर आधारित अध्ययन रिपोर्ट पर विमर्श किया गया। डूबने से होने वाली मौतों की रोकथाम के लिए निम्नलिखित गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु राज्य के सभी जिला पदाधिकारियों से अनुरोध किया गया। कार्यशाला में निम्न निर्णय लिये गये:–

1. प्राधिकरण ने अध्ययन रिपोर्ट में अति प्रभावित अंचलों को चिह्नित किया है। ऐसे चिह्नित प्रखण्डों के पंचायतों को जिलों के द्वारा चिह्नित करने का निर्णय लिया गया। जहां ऐसी अधिक घटनाएं होती है वहां रोकथाम एवं न्यूनीकरण के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन निम्नलिखित माध्यम से किया जाएगा :–

(क) एन0डी0आर0एफ0, एस0डी0आर0एफ0 के सहयोग से चिह्नित अति दुर्घटना प्रवण पंचायतों में समुदाय के युवकों को खोज, बचाव एवं प्राथमिक उपचार विषय पर कैलेंडर बनाकर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जायें।

(ख) **"डूबने से होने वाली मौतों की रोकथाम, जोखिम न्यूनीकरण एवं पूर्व तैयारी हेतु** प्राधिकरण स्तर बनाई गयी **कार्ययोजना"** का क्रियान्वयन अति प्रभावित प्रखण्डों एवं पंचायतों में किया जाए।

(ग) प्राधिकरण स्तर पर चलाए जा रहे **"सुरक्षित तैराकी कार्यक्रम"** के अंतर्गत जिन जिलों में मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण कराया जा चुका है वैसे जिले अपने स्तर पर इनका उपयोग बालक/बालिकाओं को प्रशिक्षण देने के साथ–साथ जन–जागरूकता एवं प्रचार–प्रसार में किया जाए।

(घ) जिन जिलों में प्राधिकरण स्तर से कम्युनिटी वॉलेंटियर का प्रशिक्षण कराया गया है, वैसे जिलों में इन प्रशिक्षित वॉलेंटियर का उपयोग डूबने से बचाव के जागरूकता एवं प्रचार–प्रसार में किया जा सकता है।

(च) अंचल अधिकारियों एवं एन0डी0आर0एफ0, एस0डी0आर0एफ0 के सहयोग से स्थानीय गोताखोरों का रिफ्रेशर प्रशिक्षण कराया जाए।

(छ) डूबने की घटनाओं के संबंध में प्राधिकरण द्वारा हुए विश्लेषणात्मक अध्ययन में यह पाया गया कि डूबने से होने वाली मृत्यु में दो तिहाई संख्या 20 वर्ष आयु वर्ग से कम के बच्चों, युवक/युवतियों की है। इसलिए आंगनवाड़ी, विद्यालय एवं समुदाय के स्तर पर सालोंभर जन–जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए।

(ज) पंचायत स्तर के कार्यकर्ताओं जैसे आशा और टोला सेवक के माध्यम से डूबने की घटनाओं के संबंध में प्रचार–प्रसार किया जाए।

2. डूबने की घटनाओं की रोकथाम के लिए जिले एवं प्रखण्ड स्तर पर होने वाली अन्य गतिविधियां निम्नलिखित हैं :–

(क) जिन पंचायतों में डूबने की घटनाएं अधिक होती हों उन्हे रेड स्पॉट्स के रूप में चिह्नित किया जाए।

(ख) जिन परिवारों में एसी घटनाएं हुई हैं, उनका सहयोग समुदाय स्तर पर जन–जागरूकता बढ़ाने में लिया जा सकता है।

(ग) आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा निदेश दिया गया है कि डूबने की घटनाओं के रोकथाम के उपायों के बारे में जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तर, अंचल स्तर एवं पंचायत स्तर पर उक्त विषय पर बैठकों का आयोजन हो एवं निदान के उपायों पर चर्चा की जाए।

(घ) सभी पंचायत प्रतिनिधियों से अपील की गई कि जिन इलाकों में बालू के खनन या अन्य कारणों से गड्ढ़े बन गए हैं उन्हें चिह्नित कर लाल झंडा लगाया जाए।

(च) पंचायत स्तर पर भी डूबने की घटनाओं के बारे में डाटा का संग्रहण किया जाए।

(छ) जलाशयों के किनारे आयोजित पारंपरिक त्योहारों के दौरान खतरों की पहचान एवं सतर्कता बरतने हेतु समुदाय के बीच चौपाल के माध्यम से जन–जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाये।

(ज) जो बच्चे घर से बाहर शौच करने या पशु चराने के लिए जाते हैं, वैसे बच्चें के अभिभावकों के माध्यम से खतरनाक जल श्रोतों से दूर रहने हेतु बार–बार सचेत करने की जानकारी विद्यालयों, आंगनबाड़ी केन्द्रों, मंदिरों, मस्जिदों आदि से प्रचार–प्रसार किया जाए।

(झ) नहरों के आस–पास डूबने की घटनाएं न हो इसके लिए प्रशिक्षित गोताखोरों को संवेदनशील स्थलों पर प्रतिनियुक्त किया जाए।

(ट) विभिन्न जिलों के अपर समाहर्त्ता/प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन एवं अंचलाधिकारियों को आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा निदेश दिया गया कि वे स्थानीय जोखिम एवं खतरों की पहचान करें एवं डूबने से होने वाली मृत्यु की रोकथाम हेतु योजना बनाएं। इसके क्रियान्वयन हेतु अपेक्षित सहयोग आपदा प्रबंधन विभाग से प्राप्त कर सकते हैं।

प्राधिकरण के स्तर पर वर्ष, 2022 से मई माह के अंतिम सप्ताह में 23–29 मई 2022" तक डूबने से होने वाली मृत्यु की रोकथाम हेतु जन–जागरूकता सप्ताह आयोजित करने का निर्णय लिया गया।

(H) डूबने से होने वाली मृत्यु की रोकथाम हेतु "जन–जागरूकता सप्ताह 23–29 मई 2022" की अवधि में आयोजित गतिविधियां

- प्राधिकरण द्वारा डूबने से होने वाली मृत्यु की रोकथाम हेतु जन जागरूकता सप्ताह (23 से 29 मई, 2022) के दौरान दिनांक 23 एवं 24 मई, 2022 को SDRF के सहयोग से पटना, गोपालगंज, सीतामढ़ी, भोजपुर, गया एवं जमुई जिलों के NCC cadets का **"डूबने के कारणों, बचाव के उपायों एवं प्राथमिक उपचार"** विषय पर संवेदीकरण किया गया। यह कार्यक्रम राजेंद्र नगर, पटना में आयोजित NCC कैम्प में किया गया। इस कार्यक्रम में लगभग 300 cadets ने भाग लिया।
- जिला प्रशासन, पटना एवं SDRF के सहयोग से दिनांक 27.05.2022 को डूबने से होने वाली मृत्यु की रोकथाम हेतु जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन अति दुर्घटना प्रवण NIT घाट, गांधी घाट, भद्र घाट, गाय घाट, पहलवान घाट, महावीर घाट आदि का अवलोकन किया गया। इस दौरान घाटों पर स्नान करने वाले लोगों एवं दुकानदारों के बीच प्रचार प्रसार सामग्रियों का वितरण किया गया।

- प्राधिकरण द्वारा बामेती, पटना में आयोजित जिला संसाधन केंद्र के प्रतिनिधियों को "आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन" विषय पर प्रशिक्षण दिया गया। इस अवसर पर दिनांक 24 मई को **"डूबने के कारणों, बचाव के उपायों"** के विषय पर संवेदीकरण किया गया।
- SDRF के सहयोग से डूबने से होने वाले मृत्यु की रोकथाम हेतु जन–जागरूकता सप्ताह (23–29 मई 2022) के दौरान मधेपुरा, खगड़िया, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर एवं भागलपुर जिलों में चिह्नित स्थानों पर विभिन्न तिथियों में प्रतिनिधियों एवं समुदाय का संवेदीकरण तथा बचाव के तरीकों का Demonstration किया गया।

(I) बहु–आपदा जोखिम एवं न्यूनीकरण विषय पर सामुदायिक स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण

बिहार राज्य बहु–आपदा प्रवण राज्य है। फलतः हमारे गाँव, पंचायतों, प्रखण्ड एवं जिलों में विभिन्न तरह की आपदाएँ आती रहती हैं। पंचायतों में कुछ नौजवान आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन हेतु जरूरी ज्ञान और हुनर सीख लें तो वे अपने गाँव, पंचायत, प्रखंड एवं जिले को आपदाओं से सुरक्षित रख सकते हैं। इसके लिए बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने राज्य के नौजवानों/नवयुवतियों को प्रशिक्षित कर आपदाओ के प्रत्युत्तर हेतु तैयार कर रहा है ताकि आपदाओं से सुरक्षा प्रदान करने में वे अपने समुदाय के लिए मददगार बन सकें प्रशिक्षण के उपरांत वे अपने गाँव, पंचायत, प्रखंड एवं जिला स्तर पर विभिन्न आपदाओं की प्रवणता की जानकारी हासिल कर आपदाओं के जोखिम–न्यूनीकरण एवं प्रबंधन में समुदाय को मदद करेंगे। इसके लिए **मई**, 2022 में दिनांक 29.04.2022 से 10.05.2022 पूर्वी चम्पारण जिला के कुल 44 स्वयंसेवकों को 12 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। मई, 2022 तक पुर्णिया, मुजफ्फरपुर, प० चम्पारण एवं पूर्वी चम्पारण जिले के कुल 428 स्वयंसेवकों को अब तक प्रशिक्षित किया जा चुका है।

(J) वज्रपात से बचाव संबंधी कार्ययोजना के लिए पटना, गया और औरंगाबाद कार्ययोजना बनाने की तैयारी के लिए बैठक

वज्रपात की घटना होने पर ग्रामीण क्षेत्रों मं की व्यापक व्यापक स्तर पर मृत्यु होती है। इसमें लोगों की ही नहीं बल्कि पशुओं की भी मौत हो जाती है। ऐसी घटना में जो जीवित बच जाते हैं वो अपंग भी हो जाते हैं, जैसे– आँखों की रौशनी का खत्म होना, सुनने की क्षमता समाप्त या कम हो जाना आदि।

अत: वज्रपात/ठनका से बचाव एवं रोकथाम संबंधी अति प्रभावित तीन जिलों (पटना, गया, औरंगाबाद) के साथ इन घटनाओं की रोकथाम के लिए 01 मई, 2022 से कार्ययोजना के क्रियान्वयन की शुरुआत की गयी।

इस कार्ययोजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में वज्रपात से बचाव एवं रोकथाम हेतु विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है जिसमें समुदाय स्तर पर आई.ई.सी. (लिफलेट/पम्पलेट) का वितरण एवं नुक्कड़ नाटकों का मंचन किया जा रहा है। औरंगाबाद जिले के सभी पंचायतों में वज्रपात सुरक्षा रथ द्वारा लोगों को बचाव संबंधी उपायों की जानकारी दी जा रही है।

(K) पंचायत संसाधन केन्द्र (DPRC) के पदाधिकारियों का "आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन" विषय पर दो दिवसीय मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण कार्यक्रम

पंचायत संसाधन केन्द्र (DPRC) के पदाधिकारियों का "आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन" विषय पर दो दिवसीय मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन दो बैचों में दिनांक 24–25 मई एवं 26–27 मई, 2022 को संपन्न हुआ। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुल 54 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया। इस प्रशिक्षण में प्रखण्ड परियोजना प्रबंधक एवं ब्लॉक फैसिलिटेटर ने भाग लिया गया। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य है कि मास्टर ट्रेनर्स के माध्यम से प्रखण्डस्तरीय प्रशिक्षण में सभी जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षित एवं जागरूक किया जाना ताकि किसी भी आपदा के समय वे अपने पंचायत को सुरक्षित रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। इस प्रकार मई, 2022 तक अयोजित नौ बैचों के प्रशिक्षण में कुल 225 मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षित हो चुके हैं। मई, 2022 में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम का ब्योरा इस प्रकार हैः–

क्र0सं0	दिनांक	प्रतिभागी जिला	प्रतिभागियों की संख्या
8	24–25 मई 2022	सहरसा, रोहतास, मुंगेर, किशनगंज, पटना, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सिवान, कटिहार, शिवहर, सुपौल, खगड़िया, समस्तीपुर, शेखपुरा, गया, बांका, पूर्णिया, सीतामढ़ी, सारण एवं दरभंगा	28
9	26–27 मई 2022	सिवान, सारण, भागलपुर, दरभंगा, नवादा, सीतामढ़ी, बक्सर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, गया, नालंदा, पूर्वी चम्पारण, पटना, मधुबनी, प0 चम्पारण, शिवहर एवं शेखपुरा	26
		कुल	54

(L) बांका के जिला आपदा प्रबंधन योजना (DDMP) पर परिचर्चा के लिए पदाधिकारियों की बैठक

दिनांक 12.05.2022 को प्राधिकरण के माननीय उपाध्यक्ष डा उदय कांत मिश्र की अध्यक्षता में बांका जिले की आपदा प्रबंधन योजना का review किया गया।

प्राधिकरण सभागार में आयोजित इस बैठक में बांका जिला से संबंधित विभागों के पदाधिकारियों की भागीदारी हुई। बैठक में प्राधिकरण के माननीय सदस्य, श्री पी0एन0 राय मौजूद थे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि जिला आपदा प्रबंधन योजना का संशोधन जिले में मौजूदा खतरों, समुदाय की नाजुकता के मद्देनजर किया जाना चाहिए और गतिविधि योजना के अनुसार होनी चाहिए। बैठक में पदाधिकारियों द्वारा बांका जिले की आपदा प्रबंधन योजना को अद्यतन करने पर सहमति प्रदान की गई।